माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय व विशेष योग्यजन (CWSN) पूरक परीक्षा– वर्ष 2023

परीक्षा कार्यक्रम

(सैद्धान्तिक परीक्षाओं के लिये)

समय– प्रातः 08.30 से 11.45 तक

वार/दिनांक	विषय (कोड)
गुरूवार, 03 अगस्त, 2023	हिन्दी अनिवार्य (01), अंग्रेजी अनिवार्य (02), लेखाशास्त्र (30) शीघ्रलिपि–अग्रेंजी (33) टंकण लिपि (हिन्दी) (34), कृषि रसायन विज्ञान (38), कृषि जीव विज्ञान (39), भौतिक विज्ञान(40), रसायन विज्ञान (41), जीव विज्ञान (42), (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9:00 बजे से प्रारम्भ किया जाये।)
शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023	कम्प्यूटर विज्ञान (03), इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिसेस (04), लोक प्रशासन (06), अर्थशास्त्र (10), राजनीति विज्ञान (11), संस्कृत साहित्य (12), इतिहास (13), भूगोल (14), गणित (15), कंठसंगीत (16), चित्रकला (17) गृह विज्ञान (18), मनोविज्ञान (19), अंग्रेजी साहित्य (20), हिन्दी साहित्य (21), उर्दू साहित्य (22), सिन्धी साहित्य (23), गुजराती साहित्य (24), पंजाबी साहित्य (25), राजस्थानी साहित्य (26), फारसी (27), प्राकृत भाषा (28), समाज शास्त्र (29), व्यवसाय अध्ययन (31), शीघ्रलिपि–हिन्दी (32), टंकण लिपि (अंग्रेजी) (35), भूविज्ञान (43), नृत्य कत्थक (59), शारीरिक शिक्षा (60), पर्यावरण विज्ञान (61), वाद्य संगीत [तबला (63), पखावज (64), सितार (65), सरोद (66), वाईलिन (67), दिलरूबा (68), बांसुरी (69), गिटार (70)] सामान्य विज्ञान (56), कृषि विज्ञान (84), दर्शनशास्त्र (85), (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9:00 बजे से प्रारम्भ किया जाये।)
शनिवार, 05 अगस्त, 2023	ऑटोमोबाईल (101)/सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/स्वास्थ्य देखभाल (103)/सूचना प्रौद्योगिकी (IT) व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाऐं (ITes)(104),फुटकर बिक्री (105)/ ट्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म (106)/ परिधान निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा (108)/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स(109)/सूक्ष्म सिचाई प्रणाली (कृषि) (110)/प्लम्बर (111)/टेलिकॉम (112) ऋग्वेद (44)/शुक्ल यजुर्वेद (45)/कृष्ण यजुर्वेद (46)/सामवेद (47)/अथर्ववेद (48)/ न्याय दर्शन (49)/ वेदान्त दर्शन (50)/ मीमांसा दर्शन (51)/ जैन दर्शन (52)/ निम्बार्क दर्शन (53)/वल्लभ दर्शन (54)/सामान्य दर्शन (55)/रामानन्द दर्शन (57)/ व्याकरण शास्त्र (86)/ साहित्य शास्त्र (87)/पुराणेतिहास (88)/ धर्मशास्त्र (89)/ज्योतिष शास्त्र (90)/ सामुद्रिक शास्त्र (91)/ वास्तुविज्ञान (92)/पौरोहित्य शास्त्र (93), संस्कृत वाङ्मयः (94)

नोटः–

1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा/जन्मजात दिव्यांगता यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD (ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिस्ऑर्डर, प्रमस्तिष्कीय, पक्षघात, दिव्यांगता, थैलिसिमिया, हिमोफिलिया) आदि RPWD Act 2016 में अंकित श्रेणियों के दिव्यांग परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुरूप न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न प्रत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता पर श्रुतलेखक भी देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक भी देय होगा।
5. भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थी अपना इंस्ट्रुमेन्ट बॉक्स साथ लायेंगे।
6. परीक्षा कक्ष में केलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
7. **टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ किया जाये।** विद्यालय को जहां के परीक्षार्थी टंकण लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहें हों तो उन्हें प्रत्येक चार छात्रों के लिये एक टंकण यन्त्र केन्द्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यन्त्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से चार के बजाय पांच परीक्षार्थियों के लिये एक टंकण यन्त्र भेज सकते है। स्वयंपाठी परीक्षार्थी स्वयं ही टंकण यन्त्र का प्रबन्ध करेंगे। परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक टंकण यन्त्र उपलब्ध न हो तो केन्द्राधीक्षक को चाहिये कि उपलब्ध टंकण यन्त्रों के अनुसार परीक्षार्थियों के दल बना लें। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची एवं उन्हे किस समय परीक्षा केन्द्र पर आना है, इसकी सूचना दें देंगे। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्र कर लिये जावेंगें तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जायेगी। सम्बन्धित दल की परीक्षा प्रारम्भ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केन्द्र पर बुलाया जाय।
8. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा।
9. प्रश्न–पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
10. प्रश्न–पत्र व उत्तर पुस्तिका/पूरक उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
11. प्रश्न–पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्तिम लिखित पृष्ठ पर "समाप्त" शब्द लिखकर शेष रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
12. COVID-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्देशों की पालना कर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

सचिव